इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 सितम्बर 2026—भाद्र 10, शक 1948

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2026

क्र. 8309—181—इक्कीस—अ(प्रा.).— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 अगस्त 2026 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् २०२६

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०२६

[दिनांक ३१ अगस्त, २०२६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १ सितम्बर, २०२६ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सतहत्तरहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, २०२६ है. संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९४) की धारा ७५ में, उप-धारा (१) में, परन्तुक के अंत में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:- धारा ७५ का संशोधन

"परंतु यह और कि, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी ऐसी लिखत को, जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त इस धारा के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहणीय है, ऐसा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उद्गृहीत करने से छूट प्रदान कर सकेगी.".

निरसन तथा व्यावृति.

३. (१) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ (क्रमांक १ सन् २०२६) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन की गई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2026

क्र. 8309—181—इक्कीस—अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, 2026 (क्रमांक 14 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशीथ खरे, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 14 OF 2026

THE MADHYA PRADESH PANCHAYAT RAJ AVAM GRAM SWARAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2026

[Received the assent of the Governor on the 31st August 2026; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st September, 2026.]

An Act, further to amend the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-seventh year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2026.

Amendment of Section 75.

2. In Section 75 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), in sub-section (1), at the end of the proviso, for full stop, colon shall substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the State Government may, by notification, exempt any instrument, upon which additional stamp duty is leviable under this section, in addition to the duty imposed under the Indian Stamp Act, 1899, from the levy of such additional stamp duty."

Repeal and saving.

3.(1) The Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (No. 1 of 2026) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2026.